

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनासिटी जिला डोडवाना-कुचामन(राज.)

वादीगण	ब ना म	प्रतिवादीगण
बनवारी लाल पुत्र हीराराम जाति गुर्जर निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटी		भगवती देवी पुत्री हीराराम जाति गुर्जर निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटी
राजस्व वाद-पत्र = इस्तकरार हक भू विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955		
राजस्व वाद-पत्र नम्बर = 33 /2025 GCMS No.2025/ 60		
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
27.01.2025	वकील वादी द्वारा यह दावा इस्तकरार हक भू विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक.. 22/01/2025 पेश हो।	
	<p>23/2/25 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर फवारे है। क्तः पत्रावली दिनांक 4/3/25 को पेश हो।</p> <p>4/3/25 पत्रावली पेश हुई। आप को यह दावा अन्तर्गत सम्मन रखा गया है। पत्रावली दिनांक 4/4/25 को पेश हो।</p> <p>4/4/25 पत्रावली पेश हुई। आप को यह दावा अन्तर्गत सम्मन रखा गया है। पत्रावली दिनांक 10/6/25 को पेश हो।</p>	
10/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को पर-पर अवाजे लगाई गयी। अनुपस्थित है पाह पत्र अदम हाजरी अदम पैरकी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल्य शमार होकर नम्बर से काम होकर दायित्व दायर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डोडवाना-कुचामन)	

